सुर साधना

समाज में और प्रकृति के साथ सुर-ताल की साधना
ज्ञान मार्ग

अंक 6, अप्रैल 2024
सहयोग राशि रु. 20/-

अनियमित पत्रक | वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल | सीमित वितरण के लिए

साईं वही ज्ञानी है, जो जाणे पर पीड़

इस अंक में

दुनिया में आर्थिक-सामाजिक गैर-बराबरी तथाकथित 'विकास' के साथ बढ़ती जा रही है. विकास योजनायें, उच्च-शिक्षा और शोध की तमाम महँगी व्यवस्थायें क्या वास्तव में इस गैर-बराबरी को बढ़ा ही रही हैं? सामान्य जन उनके ज्ञान और उनकी क्षमताओं पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है. इसमें बेरोज़गारी, गैर-बराबरी, और ज़बरदस्ती विस्थापन से उबारने की ताकत हो सकती है. इस बात पर चर्चा बढ़े इसके लिए जाति जनगणना से उठी बहस को इस अंक में प्रमुख विषय बनाने की कोशिश है.

- **विश्व सामाजिक मंच नेपाल में लोकविद्या जन आन्दोलन की घोषणा -चित्रा सहस्रबुद्धे**
- **किसान और कारीगर जातियों के ज्ञान और राज की परंपरायें - रामजनम**
- **जाति जनगणना के आईने में भारतीय गणतंत्र : हमारे समय की जरूरत -मनीष**
- **जाति जनगणना और बहुजन समाज -लक्ष्मण प्रसाद**
- **जनगणना के आधार पर अति पिछड़ा, पसमांदा, दलित समाज की दावेदारी की बैठक -हरिश्चंद्र केवट**
- **विद्या आश्रम का रिसर्च प्रोग्राम -सुनील सहस्रबुद्धे**
- **अस्सी घाट पर छोटी पूँजी के व्यवसाईयों का धरना**
- **सलारपुर में वार्ड ज्ञान पंचायत**

सम्पादकीय

प्रकृति की लम्बी उम्र का रहस्य उसकी विविधता में है. मनुष्य समाज (सभ्यता) की उम्र इसका अपवाद नहीं है. वाराणसी में शिव-अन्नपूर्णा इस **'विविधता का राज'** के आदि विचारक और संचालक कहे जा सकते है. उनकी न्याय और नैतिकता की कसौटी **'विविधता संग सहजीवन'** में है. शिव के गण इस विचार के संचालक और प्रसारक कहे जा सकते हैं. बहुजन-समाज (लोकविद्या-समाज) के संगठन और सञ्चालन के मूल्य और प्रकार इनसे प्रेरणा पाते रहे हैं. यह विचार साम्राज्यवाद के ठीक उल्टा है और स्वराज के अधिक नज़दीक है.

साम्राज्यवाद की शक्तियां आक्रामक, असहनशील और अल्पायु होती हैं जबकि स्वराज दीर्घायु होता है और भाईचारा व त्याग की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है.

हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो गया है, जिसके चलते आज तक हम दिमाग बंद कर उनकी अवधारणाओं को स्वीकार कर ले रहे हैं. छोटे-छोटे राज्य, उत्पादन की छोटी व्यवस्थायें, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय खपत ये स्वराज की कुछ विशेषताएं हैं. साथ ही स्वराज दृष्टि जमाखोरी को दर्शन और सामान्य जीवन दोनों में ही गलत करार देती है. ऐसे मूल्यों को 'विकास' की गति में अवरोध माना जा रहा है. ज्ञात इतिहास के ढाई हज़ार वर्षों में हमारा देश लम्बे-लम्बे कालों में ऐसी ही छोटी-छोटी आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक इकाइयों के बल पर चला है और इस चिरंजीवी अद्भुत सभ्यता को आकार मिला है. यह बहुजन-समाज की **'स्वराज-परंपराओं'** की ही देन है.

जाति के सवाल को अंग्रेजों ने और फिर हमारी सरकारों और राजीनीति ने अपने राज(साम्राज्य) को बनाये रखने के लिए बहुत अधिक उलझा दिया है. जातियों के उद्भव, भूमिका, उनके आपसी सम्बन्ध आदि की एक स्थिर कल्पना को आकार दिया है. उसे एक राजनीतिक हथियार बनाकर उसके जरिये आर्थिक-सामाजिक सम्मान-असम्मान का एक स्थिर इतिहास रच दिया है.

विविध जातीय-समाजों की खुशहाली की, रचनात्मक ऊर्जा और वैचारिकी की सक्रिय व न्यायपूर्ण पहल की चाभी वास्तव में बहुजन-समाज के पास ही है. विविध विचारों, प्रकारों, गुणों और रूपों में भाईचारा और न्याय की विरासत इन्हीं समाजों के पास है. वे ही समाजों के बीच फैलाई गई नफरत, गैर-बराबरी और विद्वेष की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं. विविध सुरों (समाजों) की लय साध कर सुरीला संगीत (न्यायपूर्ण समाज) पैदा करने की कला बहुजन-समाज के पास ही है.

सुर साधना के इस अंक में इसकी चर्चा की गई है.

लोकविद्या के दावे
दूसरी, नई और बेहतर दुनिया बनाने का दावा

ज्ञान की दुनिया में ऊँच-नीच ख़त्म हो.
ज्ञान के क्षेत्र में ऊँच-नीच समाज में ऊँच-नीच पैदा करती है.

नेपाल में हुए विश्व सामाजिक मंच (15-19 फरवरी 2024) में **लोकविद्या जन आन्दोलन** ने समाजों के ज्ञान के आधार पर यानि लोकविद्या के बल पर **'एक दूसरी, नई और बेहतर दुनिया'** बनाने का दावा पेश किया. लोकविद्या जन आन्दोलन की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा नीचे दिये गये ज्ञापन पर अनेक भागीदार संगठनों से सहमति हासिल कर विश्व सामाजिक मंच के नेतृत्व को सौंपा गया, जिसे वे प्रकाशित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहस का एक मुद्दा बनायेंगे. लोकविद्या के ये दावे हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक ऊंच-नीच को एक साथ ख़त्म करने के रास्तों को बनाने में दिशा सूचक हो सकते हैं.

-चित्रा सहस्रबुद्धे

किसान-समाज के ज्ञान के दावे

- किसान-समाज अपने ज्ञान के बल पर देश के लिए एक न्यायपूर्ण कृषि-नीति बनाने में समर्थ है. उच्च-शिक्षित विशेषज्ञ इसे नहीं बना सकते.
- 2020-22 के देश के किसान आन्दोलन के नारे ''रोटी को तिजोरी में नहीं बंद होने देंगे" ने 'खाद्य का व्यापार से सम्बन्ध' पर एक बड़ा विचार दिया है. किसान आन्दोलन की न्यूनतम समर्थन की मूल्य (एम.एस. पी.) मांग एक दूसरी और बेहतर दुनिया बनाने के विचार को ठोस बनाने की ओर एक कदम है.
- भारत के किसान आन्दोलन ने अपने 'अराजनीतिकता' के विचार के जरिये 'समाज' की शक्ति की ओर ध्यान खींचा है. यह शक्ति राजसत्ता और बाज़ार की ज्यादतियों तथा अन्याय से मुकाबला लेने लायक बने, इसका ठोस विकल्प प्रस्तुत किया है. बोलीविया और इक्वाडोर जैसे देशों के आदिवासी किसानों ने 'धरती माँ' और 'अच्छा जीवन' का विचार गढ़ा है. किसानों के अंतरराष्ट्रीय संगठन 'वाया कम्पेसिना' ने बड़ी कंपनियों द्वारा खाद्य उद्योग पर कब्ज़े के खिलाफ 'खाद्य सम्प्रभुता(स्वराज)' का विचार प्रस्तुत किया है. ये सब विचार दूसरी बेहतर दुनिया बनाने की बुनियाद बना रहे हैं. इन विचारों के ज्ञान का आधार लोकविद्या में है.

किसान समाज की दुनिया से अपील

- अनाजों के उत्पादन की किसी भी तकनीकी को किसान समाजों में व्यापक चर्चा और राय के बाद ही व्यवहार में लाया जाना चाहिए. बीज से लेकर बाज़ार तक के सभी पक्षों और प्रक्रियाओं पर किसान समाज को अपने सहयोगी समाजों यानि कारीगर, आदिवासी, महिलाओं और दुकानदारों के समाजों के साथ संवाद और सहयोग कायम करना है. यही लोकविद्या समाज के नेतृत्व में ज्ञान-आन्दोलन का रचनात्मक कार्य है और यह लोक पहल पर दूसरी बेहतर दुनिया बनाने का रास्ता है जिसे हम स्वराज कह सकते है.
- कृषि क्षेत्र को उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने वाले प्रमुख स्रोत की पहचान से मुक्त कर, जीवन को सर्व पक्षों से पुष्ट बनाने और सतत संवर्धन का संसाधन बनाया जाना है.
- अनाज उत्पादन की खेती और उससे जुड़े उद्यमों में कार्यरत लोगों की आय सरकारी कर्मचारी के जैसी होगी तो बेहतर दुनिया साकार हो उठेगी.
- अनाज का उत्पादन और उपलब्धता बाज़ार के दबावों से मुक्त होने चाहिए.

कारीगर-समाज के ज्ञान के दावे

- कारीगर-समाज जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना ही नहीं बल्कि उत्पादन के सिद्धांत, तकनीकी, कच्चे माल, प्रक्रिया और उनके सामाजिक तथा पर्यावर्णीय परिणामों के प्रति सचेत दृष्टि रखता है; यानि उसके पास एक अपना दर्शन है. इसी ज्ञान के बल पर वह प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल और पुनर्निर्माण की नीति अपनाता है.

- इस मंच से हम अपील करते हैं कि कारीगर-समाज अपने ज्ञान के बल पर देश की उद्योग नीति बनाने का दावा पेश करें. यह कारीगर-समाज का ज्ञान आन्दोलन है.
- कारीगर-समाज में सबसे बड़ा घटक बुनकर समाज का है. इसे इस ज्ञान-आन्दोलन का अगुआ बनकर सामने आना है. भारत में बुनकर समाज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. यह न भूलें कि इस देश की आज़ादी के संघर्ष का एक ठोस खम्भा 'वस्त्र निर्माण' और इससे जुड़े कारीगरों से बना था.
- बड़ी पूँजी, साइंस आधारित बड़ी मशीन, बड़ा बाज़ार, बड़ी कंपनी, तीव्र गति से माल और सूचना की वाहक मशीन (कंप्यूटर-इन्टरनेट), ये सब समाज में गैर बराबरी और प्रकृति के विध्वंस पर आधारित हैं. कारीगर-समाज का ज्ञान इस स्थिति से मुक्ति का रास्ता बनाने का दावा पेश करता है.
- तमाम तरह की कारीगरी के उद्योगों और तरह तरह की सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों में कार्यरत लोगों की आय सरकारी कर्मचारी के जैसी होगी तो बेहतर दुनिया साकार हो उठेगी. इस मुद्दे पर कारीगर-समाज मिलकर अपने ज्ञान पर आपस में संवाद खोलें तो एक सामाजिक बराबरी का आधार बनेगा और साथ ही वर्तमान लोकविरोधी उद्योग-नीति का मुकाबला करने के रास्ते भी मिलेंगे.
- इस मंच से हमारी अपील है कि अगर आर्थिक-सामाजिक बराबरी के लिए कदम आगे बढ़ने हैं तो कारीगर-समाज अपने ज्ञान के बल पर न्यायपूर्ण उद्योग नीति का एक खाका बनाने की ओर बढ़ें और इसके लिए लोकविद्या-समाज के सभी घटकों के ज्ञान को बराबर के सम्मान का सहयोगी बनायें.

मल्लाह समाज के ज्ञान का दावा

- भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक नदियों और समुद्र के किनारे बसा विशाल मछुआरे समाज है. जल ही इनका जीवन रहा है. इनके अन्दर भी मछुआरे/मल्लाह/मांझी/केवट/बिन्द आदि अनेक समाज हैं.
- मल्लाह-समाज देश की जल नीति बनाने का दावा पेश करें.
- मछली पालन को खाद्य-स्वराज के विचार से जोड़ने का दावा पेश करें और किसान-समाज के साथ खड़े हों.
- मछली उत्पादन और व्यापार करने पर बड़ी कंपनियों के बढ़ते कब्ज़े का मुकाबला और नई तकनीकी से हो रहे विस्थापन को अपने ज्ञान के आधार पर चुनौती देने का रास्ता बनायें. यही ज्ञान आन्दोलन है.
- स्थानीय जल व्यवस्थाओं/संस्थाओं आदि में समाज की प्राथमिक भूमिका हो इसका दावा पेश करें.
- राज्यों और देशों के बीच जल बंटवारे से सम्बंधित विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता का दावा करें.
- गाँव, क़स्बा और शहर में मछली बाजारों की व्यवस्था करने में छोटे दुकानदार के साथ खड़े हों.
- बाढ़ संकट के लिए सुझाव और हल, जलाशय और नदियों के निर्मलीकरण आदि की नीतियाँ मल्लाह-समाज से सलाह मशविरे के बगैर न तय हों.

महिलाओं के ज्ञान का दावा

- हर समाज की सामान्य महिलाओं में मनुष्य की बुनियादी संवेदनाओं का विशाल भण्डार होता है. इनके बल पर वे पालन-पोषण के नित नवीन तरीके इजाद करती हैं, जो मनुष्य के नैतिक, भौतिक और कलात्मक ज्ञान-पक्षों को विस्तार देते हैं. संवेदनायें किसी भी तरह के ज्ञान का अंतर्निहित अंग हैं इसका का ठोस सबूत स्त्री-ज्ञान में है.
- संवेदनाओं से पूर्ण ज्ञान सभी के लिए बेहतर, न्याय और सम्मानपूर्ण दुनिया बनाने की बुनियाद है. यही इन्सान होने की पहचान है. सामान्य स्त्रियों का ज्ञान किसानी, कारीगरी, सेवा और छोटे उद्यमों की हर प्रक्रिया तथा प्रकारों में इन मूल्यों का संवर्धन करता है. यही वजह है कि लोकविद्या-समाज के संतों के दर्शन संवेदनाओं को ज्ञान का अभिन्न अंग मानते रहे हैं.

- आज की पूंजीवादी व्यवस्था का ज्ञान-आधार साइंस में है और यह संवेदनाओं को ज्ञान का अंग मानने से इनकार करता है. मनुष्य समाज में गैर-बराबरी और प्रकृति के विध्वंस का कारण इस संवेदनहीन ज्ञान, साइंस, में है. ऐसे में स्त्रियों को दूसरी बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपने ज्ञान का दावा पेश करना होगा. किसानी, कारीगरी और छोटी पूँजी के सेवा और व्यवसाय के उद्यमों में कार्यरत लोगों और समाजों के ज्ञान-आन्दोलन में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है. इन सभी उद्यमों में स्त्रियों की उत्पादनकर्ता के रूप में स्पष्ट पहचान है.
- आज की दुनिया में सबसे अधिक संख्या में सामान्य स्त्रियों के पास वस्त्र निर्माण और खाद्य निर्माण का ज्ञान है. सामान्य स्त्रियों के ज्ञान-आन्दोलन का पहला चरण यहीं से शुरू होता है. वस्त्र निर्माण और खाद्य निर्माण के क्षेत्र स्त्रियों की ज़िम्मेदारी में रहें. यह मांग उन्हें किसान और कारीगर समाजों के साथ बराबरी से खड़ा होने का ठोस आधार भी देती है.
- देश की कृषि नीति और उद्योग नीति बनाने में सामान्य स्त्रियों को अपने ज्ञान का दावा पेश करना होगा.
- स्त्रियों के ज्ञान आन्दोलन की प्रमुख मांग हो वस्त्र और खाद्य निर्माण में लगी स्त्रियों की आय सरकारी कर्मचारी जैसी हो.
- प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र स्त्री-ज्ञान पर आधारित होंगे तभी समाज में नैतिक मूल्यों का बीजारोपण हो सकता है. ये सेवा क्षेत्र स्थानीय स्तर से स्त्रियों के हाथ हो.
- इस मंच से हम दुनिया की महिलाओं से अपील करते हैं कि वे अपने समाज, लोकविद्या-समाज और बृहत् समाज के लिए अपनी ज्ञान-आधारित प्रखर भूमिका को पहचानें ओर एक ऐसे स्त्री आन्दोलन को आकार दें जो एक दूसरी, नई, बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया की और अग्रसर हो.

किसान और कारीगर जातियों के ज्ञान और राज की परंपरायें

-रामजनम , स्वराज अभियान वाराणसी

30 सितंबर 2023 को पूर्व आई.पी.एस. अफसर विजय शंकर जी ने एक फेसबुक पोस्ट राजेश मोहन के हवाले लिखी. इस पोस्ट में उनका मानना है कि यह तो भ्रम है कि भारत के 565 रजवाड़ों और 192 जागीरों में सब की सब राजपूत राजाओ की थीं. इन राज्यों, जागीरों, जमींदारियों में से अधिकांश हिस्सा आज की पिछड़ी जातियों, आदिवासी जातियों और मुसलमान राजाओं , जागीरदारों, जमींदारों की रही. अपने कथन के समर्थन में इस पोस्ट में विजय शंकर जी ने भारत भू-भाग के विभिन्न कालखंडों के राजाओं, जागीरदारों, जमींदारों की एक सूची भी प्रस्तुत की.

मध्यप्रदेश की ग्वालियर, इंदौर, धार, देवास जूनियर, देवास सीनियर रियासतें किसकी थीं? मकड़ाई जैसी जागीरें किसकी थीं? गुजरात में बड़ौदा, वीरमगाम, पाटड़ी और वसो रियासतें किसकी थीं? उत्तर प्रदेश की समथर , लंढौरा, झबरेड़ा, भेंड़, नीमगांव, तुलसीपुर बांके, सहगों पडरौना आदि रियासतें किसकी थीं. हरियाणा / राजस्थान की भरतपुर, धौलपुर, डीग, आदि रियासतें किसकी थीं? ये तो कुछ उदाहरण हैं, ऐसा ही पूरे भारत में था इसलिए कोई कौम यह भ्रम न पाले कि राज का सर्वाधिकार किसी एक जाति का ही था.

बिहार में जाति जन गणना और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एक हलचल पैदा हुई है. देश में पिछड़े समाज की संख्या और स्थितियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में अगर यह बहस तर्कों, तथ्यों और इतिहास की हकीकत के साथ आगे बढ़ती है तो सामाजिक न्याय आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और सामाजिक न्याय आंदोलन के अगले चरण 'संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा' के लिए नये रास्ते भी खुलेंगे.

इतिहास से मिली जनकारी के आधार पर कहा जा सकता कि इस देश में दार्शनिकों, संतों, और राज व्यवस्था चलाने में सभी जाति-समाजों के लोग रहे हैं. लेकिन हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालयों में पठन-पाठन करने वालों ने यह समझ पैदा कर दी है कि

हमारे समाज में राज करने का अधिकार केवल क्षत्रियों के पास था. जब कि भारत के अधिकांश भूभाग पर विभिन्न काल और क्षेत्रों में किसान, कारीगर, पशुपालक, और आदिवासी आदि कमेरा समाज का ही राज रहा. भारत के दार्शनिक, सांस्कृतिक और तकनीकी के निर्माण और संचालन में भी गैर-ब्राह्मण कमेरा समाज निर्णयात्मक भूमिका में रहा.

भारत की आज़ादी के समय जो रियासतें थीं उनकी सूची से भी यह बात साफ़ होती है. अंग्रेजों के द्वारा लाई गई नई राज-व्यवस्था ने भारत में कमेरा और दलाल(लूटेरा) वर्ग तैयार किया. कमेरा वर्ग को जातियों में विभाजित कर आपस में लड़ाने की नीति अपनाई. यही राजनीति मौजूदा समय में बदस्तूर जारी है और आज इसकी तस्वीर साफ-साफ दिखाई दे रही है. विजय शंकर सिंह जी की फेसबुक वाल (2023) पर जारी राजघरानों की सूची महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही में अपडेट की गई बेवसाइट से मिली जानकारी के अनुसार सन् 1028 में मऊ पर मऊ नट राजा का शासन था. यही नहीं, वाराणसी के कुशल बुनकर कलाकार मुन्नू प्रसाद मौर्य ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में मौर्यकाल से लेकर तो आज़ादी तक भारत के कुछ महान राजाओं के वंशों को मुखर किया हैं जो किसान या कारीगर जातियों के रहे.

विद्या आश्रम सारनाथ, वाराणसी से प्रकाशित पुस्तिका 'लोकस्मृति' में राज्य और राजवंश की सूची यह कहती है कि राज व्यवस्था चलाने का तगमा केवल क्षत्रिय समाज के पास ही नही रहा है बल्कि किसानी और कारीगरी वाले समाज ही अधिक संख्या में शासक रहे. ऐसे में दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं. एक, कि हमारे स्कूल-कालेज में पढाई की पुस्तकों और चर्चाओं में इसे क्यों छुपाया गया है? दूसरा, ज्ञान और राज के क्षेत्र में अगुआ रहे ये समाज अंग्रेजों के आने के बाद से अब तक अचानक 'पिछड़े' क्यों और कैसे बना दिए गए? जाति जन गणना से ये सवाल खुलने लगे हैं.

देश और समाज को अब इस सच्चाई का सामना तो करना ही होगा और बहुजन समाज को फिर से अपने नैतिक बल, ज्ञान और अपनी चेतना के जरिए न्याय, त्याग और भाईचारे पर आधारित गौरवशाली राज के नये रास्ते ईजाद करने होंगे.

जाति जनगणना के आईने में भारतीय गणतंत्र
हमारे समय की जरूरत

-मनीष, कम्युनिस्ट फ्रंट, वाराणसी

मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने से इंकार कर दिए जाने के बाद, पिछले दिनों यूपी-बिहार के दो दर्जन जिलों में जाति जनगणना के सवाल पर,'जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा' के बैनर तले सघन जन अभियान संचालित किया गया. जनता और सामाजिक -राजनीतिक विपक्ष से सघन संवाद के दौरान जाति जनगणना से संबंधित कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक पहलू सामने आए जिस पर क्रमवार बात करने की कोशिश करेंगे, पर पहले कुछ तात्कालिक व महत्वपूर्ण पहलूओं पर बात करें.

पहली बात, जाति जनगणना भी हर हाल में जनगणना एक्ट 1948 के तहत ही की जानी चाहिए, इसके अलावे जो कुछ भी होगा उसकी संवैधानिक मान्यता नही रह जाएगी. जैसा कि हम सबने देखा कि 2011 में केंद्र द्वारा अलग से किए गए सर्वे का क्या हश्र हुआ.

दूसरी बात ये की जाति जनगणना को राज्य सरकारों के जिम्मे नही छोड़ा जा सकता, हालांकि राज्य अपने लिए गणना करा सकती है,जै से की बिहार में हुआ है, पर यह गणना केंद्रीय जनगणना एक्ट के तहत कराए गए जनगणना का विकल्प तो बिल्कुल ही नही हो सकता, और इस गणना की संवैधानिक मान्यता भी संकट में रहेगी. और इसके चलते इस पूरे कवायद के भी अप्रासंगिक बने रहने का ख़तरा बराबर बना रहेगा तथा सरकारों पर निर्भर होगा कि वो इसे माने या न माने.

तीसरी बात ये कि जाति जनगणना आंदोलन केवल ओबीसी को गिनने की मांग नही कर रहा है, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, बल्कि भारतीय समाज के हर हिस्से को गिना जाना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर सामने आए, इसके साथ ही एक बात और ये है कि केवल जातियों की गणना या उन्हें गिन लेना,बिल्कुल ही नाकाफ़ी है, (जैसे कि बिहार में हुई गणना से अभी बस गिनती ही सामने आई है). जब तक कि सभी जातियों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत की भी शिनाख्त नही की जाये या ठीक-ठीक यह भी पता नही लगा सके कि हर तरह के संसाधनों का संकेंद्रण कहाँ

-कहाँ हैं और वंचना कहां-कहां है, तब तक ऐसे किसी भी कवायद की सार्थकता संदिग्ध बनी रहेगी और इसे कोई प्रगतिशील कदम मान पाना मुश्किल होगा.

इतिहास के आईने में जाति जनगणना

1878 से लेकर 1931 तक ब्रिटिश काल में लगातार जाति की जनगणना होती रही. यहाँ तक कि 1941 में जनगणना के साथ जाति की भी जनगणना कराई गई पर दूसरे महायुद्ध के चलते उसे जारी नही किया गया. आजाद भारत में पहली जनगणना से ही जाति जनगणना को ख़ारिज़ कर दिया गया. ये सोच कर कि हमें पीछे नही आगे जाना है. ये सोचा गया कि आधुनिक भारत बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को अमल में लाने की रणनीतिक प्रक्रिया के दौरान जाति नामक परिघटना धीरे-धीरे पीछे होती चली जाएगी. पर ऐसा हुआ नही, बल्कि भिन्न-भिन्न रूपों में और बड़े पैमाने पर इसका विस्तार होता रहा. असल में तथाकथित ऊंची जातियों ने जातिगत पूंजी का इस्तेमाल कर आधुनिक कारखानों व विज्ञान और तकनीकी के बड़े संस्थानों पर भी लगभग कब्ज़ा ही कर लिया जिसके चलते व अन्यान्य वजहों से, जाति आधारित असमानता ने और भी विशालता हासिल कर ली. अंततः सत्ता व्यवस्था को पहले **काका कालेलकर आयोग और फिर मंडल आयोग** का गठन करना पड़ा. विशाल ओबीसी समाज के वास्तविक हालात को सामने लाने के लिए. उनके पास 50 साल पहले का आंकड़ा था. उन्हें कुछ तात्कालिक सर्वे और 1931 के आंकड़े से काम चलाना पड़ा और ओबीसी समाज के पक्ष में सिफारिश के साथ-साथ सरकार से यह भी कहना पड़ा कि जल्द से जल्द जाति जनगणना कराई जाए.

1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद जाति जनगणना की मांग ने फिर से जोर पकड़ा और 1998 में देवगौड़ा सरकार की कैबिनेट ने पारित कर दिया कि 2001 की जनगणना के साथ ही जाति जनगणना करा लिया जाएगा. पर ठीक जनगणना से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई और तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जाति जनगणना को पीछे की ओर ले जाने वाला क़दम बताकर इसे फिर से ख़ारिज़ कर दिया.

2010 में तो पूरी की पूरी संसद ने सर्वसम्मति से मनमोहन सरकार से कहा कि 2011 में हर हाल में आम जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाये पर एक बार फिर संसद द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को बदल दिया गया और जाति जनगणना को आम जनगणना से अलग कर उसे सामान्य सामाजिक-आर्थिक सर्वे में तब्दील कर दिया गया जिससे इसकी संवैधानिक मान्यता ही खत्म हो गई. इस सर्वे पर पांच हजार करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए और अप्रशिक्षित कर्मचारियों के जिम्मे छोड़कर इसमें लाखों गलतियां होने दी गई और 5 साल बाद कहा गया कि इस सर्वे में 9 लाख गलतियां हैं सो इसे प्रकाशित ही नही किया जा सकता, ये किसी काम के नही है!

अंत में 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत प्रेसवार्ता कर फिर से ऐलान किया कि कि भाजपा सरकार अगर आती है तो 2021 की जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी ज़रूर कराई जाएगी. पर चुनाव बाद फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई और तत्कालीन गृहराज्य मंत्री ने संसद में साफ-साफ कह दिया कि तकनीकी कारणों से इस बार भी जाति की जनगणना संभव नही है.ऐसे में अब ये सोचना-जानना बेहद जरूरी है कि पिछले 70 सालों से एक ही कहानी बार-बार क्यों दोहराई जाती रही.

जाति जनगणना के रास्ते में बाधा कहां है?

बार-बार तमाम आयोगों, कोर्ट द्वारा सरकारों को दिए निर्देशों, कई-कई कैबिनेट और दो बार संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों के बावजूद, जाति जनगणना कराने की मांग को पिछले 70-75 सालों में हर बार-बार तत्कालीन सत्ता क्यों नकारती रही है? इस पर जब हम सोचते हैं तो पहली बात ये कि आम तौर पर हर जगह और खासकर भारत में भी वर्चस्ववादी समाज या शासक वर्ग/जातियां अपनी वास्तविक हैसियत अदृश्य रखना चाहती है या कब दृश्यमान होना है ये वो खुद तय करती हैं. ये अवसर शासित समाज के पास नही होता बल्कि शासित समाज के बारे में भी वही तय करते हैं.

ऐसे में भारतीय गणतंत्र को संचालित करने वाली तथाकथित ऊंची जातियों ने यह तय कर लिया है कि उन्हें परंपरागत और आधुनिक संसाधनों पर अपने नियंत्रण को, जो है तो जगज़ाहिर पर ठीक-ठीक जनगणना के माध्यम से सामने नही आने देना है. चूंकि शासक जातियों को कारपोरेट पूंजी का भी विराट समर्थन है(यानि तात्कालिक तौर पर इलेक्ट्रोरल बांड की ताकत) जिसका इस्तेमाल कर उसे लगता है कि वह सब कुछ न केवल मैनेज कर सकता है बल्कि बहस की दिशा को भी 180 डिग्री बदल सकता है.

दूसरी बात ये कि शासक जातियों का वर्चस्व केवल राज्य मशीनरी के बल पर क़ायम नही होता बल्कि यह अंततः शासित समाज पर अपने विचार के वर्चस्व के जरिए ही टिकाऊ ताकत हासिल करता है और आज़ादी के बाद से कुछ मोड़ और कुछ दौर को छोड़ दिया जाए तो यह वर्चस्व भिन्न-भिन्न शक्लों में बना रहा है और बढ़ता रहा है. शासक जातियों के शासित जातियों पर बढ़ते वर्चस्व के चलते, आप देखेंगे कि आज़ समूचा सत्ताधारी विपक्ष भी जाति जनगणना जैसे बड़े व गंभीर प्रश्न पर भी कम बोलता है. इस मुद्दे को जनांदोलन का प्रश्न नही बनाना चाहता और अपने को केवल बौद्धिक समर्थन तक सीमित कर लेता है. यहीं से वह ताकत मिलती है कि पूर्व और आज़ की वर्तमान मोदी सरकार खुलेआम जाति जनगणना कराने से इंकार कर देती है और सुरक्षित भी महसूस करती है.

इसी वैचारिक वर्चस्व की ताकत पर खड़े होकर जाति आधारित गैरबराबरी के खिलाफ आंदोलित ताकतों को ही जातिवादी बता दिया जाता है. पर जाति विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर घनघोर जातिवादी राजनीति करते हुए भी सबका साथ, सबका विकास, जैसे दावे भी आराम से पेश कर दिए जाते है. बात तो अब यहाँ तक आ गई है कि जो शक्तियां समता, बराबरी की दिशा में बढ़ने के लिए शुरुआती क़दम के रूप में जाति जनगणना की मांग करती हैं उन्हीं पर देश को पीछे ले जाने वाली राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया जाता है और समाज का एक हिस्सा सहज ही स्वीकार भी कर लेता है.

आज भारतीय गणतंत्र के लिए ऐसी स्थितियां क्यों आयी?

इस पर एक मुकम्मल शोध की जरूरत है और इस पर अलग से विस्तार से बात करने की जरूरत है. पर अभी एक बात जरूर कही जा सकती है कि ब्रिटिश काल से ही जाति का खात्मा चाहने वाली और धर्म की भूमिका को निजी जीवन तक सीमित करने की मंशा रखने वाले कई सकारात्मक विचारधारात्मक समूहों ने सीधा मुठभेड़ की बजाय रणनीतिक रूप से ज्यादातर बार घुमावदार रास्ते अख़्तियार किए और दोनों ही परंपरागत जटिलताओं की नकारात्मक ताकत को कम करके आंका और अक्सर भारतीयों के शासन और अर्थव्यवस्था और राजनीति में आधुनिक व गुणात्मक परिवर्तन की परियोजना पर ही ज्यादा भरोसा करते रहे. इसके परिणामों की कभी समीक्षा भी नही की जिसके चलते आज़ हम सब के लिए ये मसले ज्यादा बड़े संकट साबित हो रहे हैं.

भारत समाज की बुनियादी ज़रूरत है जाति जनगणना

आजाद भारत की पहली आम जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने से इंकार कर हमने जाति जैसे गंभीर मसले को देखने से ही इंकार कर दिया. पर समस्या को न देखने से समस्या खत्म नही हो गई,सो वो बढ़ती गई और आज़ तो जाति,भारतीय गणतंत्र के कुछ केंद्रीय तनावों में से एक बनी हुई है जो भारतीय लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रही है. भारतीय समाज की अंदरूनी एकता को चोट पहुंचा रही है. ऐसे में इन तनावों को ठीक-ठीक शिनाख्त करने के लिए जाति जनगणना आज हमारे सामने किसी भी और समय के बनिस्पत ज्यादा जरूरी कार्यभार है.

हालांकि भारतीय गणतंत्र के शुरुआती दौर में ही डॉ आंबेडकर ने भी देश को संविधान समर्पित करते हुए चेतावनी दे दी थी कि भारत अभी आधुनिक, लोकतांत्रिक और समतामूलक मुल्क बनने की प्रक्रिया में है और सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी की खाई बड़ी है. इस सवाल को हल किए बगैर भारतीय गणतंत्र, उसकी एकता और लोकतंत्र हरदम ख़तरे में रहेगा. हमने इस पर भी ध्यान नही दिया. अगर इस गैर-बराबरी को भी बार-बार देखते रहते और इसे बदलने की सोचते तो सामाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में एक भी क़दम बढ़ने के लिए जाति जनगणना हमारे लिए अनिवार्य तत्व बना रहता.

आज़ के समय में तो आंकड़ों का महत्व और भी बढ़ गया है. दुनिया का हर देश अपनी हर तरह की विविधता, भिन्नता को जरूर दर्ज करता है. ऐसे में भारत भी, जो धर्म, भाषा ,क्षेत्र जैसे हर तरह की विविधता को दर्ज करता है, केवल जाति की सच्चाई को सामने लाने से इंकार कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी आबादी को अंधेरे में रख कर कोई भी देश आगे कैसे बढ़ सकता है, इस पर भी हमें सोचना है.

एक और बात ये कि जाति जनगणना के जरिए, जाति विशेषाधिकार से लैस तबके तथाकथित ऊंची जातियों को तथ्यों के साथ गुमनामी से बाहर ले आना भी आज़ मुल्क के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद जरूरी काम है, जो न केवल परम्परागत संस्थाओं-संसाधनों को नियंत्रित करता है बल्कि आधुनिक संस्थानों-संसाधनो को भी नियंत्रित-संचालित करता है और अपनी मेरिट पूंजी को, जो उसकी जाति की पूंजी से नाभिनाल बद्ध है, को मानने से न केवल इंकार करता है बल्कि वंचित समाज के बेहद ज़रूरी मांगों को, मेरिट बनाम जाति का सवाल खड़ा कर, घृणा के साथ ख़ारिज़ करता

रहता है. ऐसे में जाति जनगणना, मेरिट के पीछे छिपे जाति की ताकत को सामने ला सकता है और सर्व समाज के बीच बिल्कुल बंद संवाद को खोल सकता है. अंततः इस उम्मीद के साथ कि जाति जनगणना, भारतीय समाज के कई तालों की चाभी साबित हो सकती है, को अमल में लाने के लिए जनांदोलन और जनपक्षधर सामाजिक-राजनीतिक ताकतें शिद्दत से पहल करेंगी और इस दिशा में सत्ता को झुकने पर मजबूर करेंगी.

जाति जनगणना के आधार पर अति पिछड़ा, पसमांदा, दलित समाज की राजनीतिक-सामाजिक दावेदारी की बैठक

-हरिश्चंद्र केवट

सामाजिक न्याय दावेदारी मंच के कुछ छात्रों ने दिनांक -20/10/2023 को जवाहर भवन, नई दिल्ली में रोहिणी कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग के साथ एक बैठक की. इस बैठक की रपट नीचे है.

भारत में वर्तमान समय में अतिपिछड़े, बहुजन, पसमांदा समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है बल्कि पूर्व में भी यह बहस उठती रही है। अतिपिछड़ा समाज ने अपने ज्ञान, हुनर, कारीगरी से इस देश के निर्माण में जितना योगदान किया है और लगातार कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है. लेकिन इसी देश में जब हक अधिकारों की बात होती है तो यह समाज आज भी हिकारत झेलता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। हिन्दू हो या मुस्लिम सभी के साथ यह भेदभाव समान है।

इस बैठक में अति पिछड़ा समाज के युनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। जेएनयू में शोध छात्र रहे वीरेंद्र ने कहा पिछड़ी जातियों में दो वर्ग समूह हैं, एक के पास खेत है, किसानी हैं तो दूसरे के पास कारीगरी है, हुनर है। हुकुम सिंह रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रवीण ने बताया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई मंडल तक ही नहीं थी बल्कि और पहले से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से चली आ रही है।अर्जक संघ को बनाने और उसके प्रचार प्रसार की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए दिवाकर ने अपने अनुभव बताए। विजय पाल ने कहा कि अति पिछड़े समाज को ब्रिटिश सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित करके उनके प्रतिरोध को दबाती रही. तथापि आजादी के बाद भी यह परंपरा बनी हुई है जो अतिपिछड़े समाज को सामाजिक न्याय से वंचित रखने का सबसे बड़ा कारण है। अजीम ने कहा कि अति पिछड़े समाज, पसमांदा समाज में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन शक्ति नहीं है जिसके कारण ये बिरादरियां रिजर्वेशन लेने के हालात में नहीं है। पटना से आएं विधान परिषद सदस्य चंद्रबली चंद्रवंशी कहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन समाप्त करने का काम किया जा रहा है,अति पिछड़ा वर्ग में पिछड़े वर्ग की संपन्न जातियों को शामिल करना यह दिखाता है कि सरकार जानबूझकर यह काम कर रही है और नहीं चाहती कि अति पिछड़ा समाज राजनीतिक हिस्सेदारी ले सके। बनारस से आएहरिश्चंद्र केवट ने अति पिछड़े समाज की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अति पिछड़े बहुजन, पसमांदा जातियों के पास हर तरह के दर्शन, राज, कला, उद्योग, तकनीकी आदि की परंपरायें हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देवेन्द्र कश्यप मानते हैं कि उनके क्षेत्र में समाज आज भी वंचित, शोषित और पिछड़ा है। संयोजक सुनील कश्यप ने कहा कि **'राह हमारे कबीर की हम रैदास के संग'** अर्थात जिस तरह के समाज और मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था की कल्पना संत परंपरा में कही गई है, हमारा उस पर विश्वास है।

इस बैठक से आगे की योजना बनी की जो रोहिणी कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई है सबसे पहले उसको सार्वजनिक करने की लड़ाई लड़ी जाए तथा रिपोर्ट में देखा जाए क्या है? अति-पिछड़ा, बहुजन, पसमांदा समाज अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जनांदोलन की तरफ जाने की योजना बना रहा है।

जाति जनगणना और बहुजन समाज

- लक्ष्मण प्रसाद

भारतीय समाज जातियो से बना हुआ है. जाति यहां की सच्चाई है. समाज की एक पहचान है. जाति के अंतर्गत काम-धंधा, जातीय पंचायतें, आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा, वैवाहिक रिश्ते इत्यादि जुड़ते हैं. अलग-अलग जातियों के पास अलग-अलग तरह का ज्ञान, हुनर, कला-कौशल एवं कार्य क्षमताएं है. जातियों की यह ज्ञान शक्ति उनकी विशेषता है. यह भी निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में तथा सरकारी नौकरियों में उच्च जाति के लोगों का दबदबा कायम है और बहुजन जातियों की संख्या बहुत कम है.

जाति जनगणना और शोषित जातियों के आरक्षण को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है. जाति जनगणना निश्चित रूप से शोषित जातियों के बीच शक्ति पैदा करने का एक उपक्रम है लेकिन इसे सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के रूप में ही न देखा जाय, बल्कि इसके साथ-साथ और भी अनेक पहलुओं पर विचार किया जाय. बहुत से ऐसे स्थान हैं, जहां पर बहुजन समाज अनुपस्थित है, वहां उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो. सबसे पहले हमें बहुजन समाज को ही ठीक से समझ लेना आवश्यक है.

बहुजन समाज इस देश का सामान्य जन है. वह अनाज, फल,फूल, दूध ,सब्जी इत्यादि पैदा करने वाला किसान है. कपड़ा, घर-मकान तथा लोहे लकड़ी इत्यादि के तरह-तरह के रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी सामान बनाने वाला कारीगर है. वह दिन भर घर के समस्त काम करने वाली तथा घर को संजोकर संगठित रखने वाली हमारे आपके घर की महिला है. जंगल में रहने वाला और हम सभी को वनस्पति और औषधियां उपलब्ध कराने वाला आदिवासी है. बाजार में ठेला,गुमटी में सामान बेचने वाला पटरी व्यवसायी है. वह विविध कलाओं के रचनाकार और कलाकार हैं. या हम यूं कहें कि सृजन और उत्पादन में लगा हर एक व्यक्ति बहुजन समाज का हिस्सा है. जातियों के रूप में अगर बहुजन-समाज का वर्णन हो तो हम पाएंगे की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में ये ही सब आते हैं. इन्हें हम कमेरा-समाज, अर्जक-समाज, शोषित-समाज, बहुजन-समाज, लोकविद्या-समाज या किसी अन्य नाम से भी पुकार सकते हैं.

यह बहुजन-समाज अपने कार्य में मेहनत करता है और ज्ञान भी लगाता है. उसे अपने कार्य को करने में ज्ञान, कला-कौशल और कारीगरी, हुनर आदि की जरूरत होती है, वह यह सब पूरी लगन और मेहनत के साथ सीखता है. बहुजन-समाज एक परिश्रमी समाज होने के साथ-साथ एक ज्ञानी समाज है. भले ही इस समाज की स्कूली शिक्षा न हुई हो , कम-अधिक हुई, या बिल्कुल नहीं हुई; अपने कार्य का ज्ञान, सभ्यता का ज्ञान और समाज का ज्ञान बहुजन-समाज के पास है. कोई भी ज्ञान चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर प्राप्त हो, या अपने तरह-तरह के कार्यों को करने से प्राप्त हो, दोनों का महत्व बराबर है. जो लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, उन्हें अज्ञानी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पास अपने कार्य से संबंधित एक विशेष ज्ञान है.

बहुजन-समाज की परंपरा इस देश की परंपरा है. पशुपालन, किसानी, कारीगरी, वन क्षेत्र इत्यादि में उत्पादन बहुजन-समाज के बल पर होता है. यह कहा जा सकता है कि देश के विकास का आधार स्तंभ बहुजन-समाज है. खेत-खलिहान बाग बगीचे, नदी, जंगल, पहाड़, मरुस्थल में पशुपालन करना उन्हें ही आता है. यूँ कहें कि हर क्षेत्र में जो सृजन, उत्पादन और बदलाव दिखलाई पड़ रहा है , उसके आधार में बहुजन-समाज है. विशेष बात यह कि इन्हें इनके उत्पादन की हर प्रक्रिया और उपकरण, तकनीक, कच्चेमाल आदि के संगठन और सिद्धांतों की गहरी समझ तो होती ही है साथ ही इनके अनुकूल समाज संगठन और सञ्चालन के प्रकार ईजाद करना भी आता है. वास्तव में इस देश की स्वराज परंपरा का वाहक बहुजन-समाज ही रहा हैं.

जाति जनगणना के माध्यम से विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या, उनके ज्ञान और हुनर तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सरकारी नौकरियों में उनकी भागदारी, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और ज्ञान इत्यादि की गणना होनी चाहिए. जाति जनगणना के आधार पर बनने वाली नीतियों को उनके कार्य और ज्ञान की बुनियाद पर आकार देने का जन-आग्रह होना होगा.

जाति जनगणना के मार्फ़त क्या-क्या होना चाहिए? सभी जातियों की उनकी संख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हो, क्योंकि आरक्षण एक विशेष अवसर का सिद्धांत है. अर्थात जो लोग मुख्य धारा से वंचित रह गए, मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर प्रदान करने के लिए

सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए. साथ ही साथ प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाये. संविदा पर हो रहे कार्य समाप्त होने चाहिए. ये व्यक्ति, समाज, देश सबके लिए घातक हैं.

लेकिन केवल नौकरियों में आरक्षण से बहुजन-समाज के सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए नौकरियों के साथ-साथ आरक्षण नीति को व्यापक कर अन्य क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए. जैसे राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव और पुनर्निर्माण के क्षेत्र, स्थानीय स्तर पर हो रहे उत्पादनों को बाज़ार में आरक्षण, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय ज्ञानियों को स्थानीय शिक्षा,परिवहन, लोकनिर्माण और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आरक्षण, आदि. जल-जमीन-जंगल में विभिन्न कंपनियों द्वारा कराये जाने वाले कार्य बंद हों और बहुजन-समाज के लोगों को यह कार्य सौंपे जाने चाहिए. ऐसी नीतियों के मार्फ़त बेरोज़गारी तो दूर हो ही जायेगी, साथ ही प्रभावी और शीघ्र सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार आदि का पैमाना भी घटेगा.

नौका संचालन, बालू खनन, मत्स्य-पालन, कृषि, पशु पालन, पहाड़ों को तोड़कर मिट्टी, पटिया ,पत्थर इत्यादि निकालने का काम-धंधा, जंगलों से विभिन्न प्रकार के जड़ी, बूटी,औषधियों , लकडियों, पत्तियों इत्यादि को तोड़ने या संग्रहित करने का काम कंपनियों के हाथ न हो. बाजारों में छोटे-छोटे दुकान का आरक्षण बहुजन-समाज के लिए हो. मोटे तौर पर अगर हम यह कहें कि देश के समस्त प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन का बंटवारा इस प्रकार हो जिससे कि बहुजन-समाज की कोई भी जाति रोज़गार से वंचित ना हो और उनकी भूमिका उनके कार्य में जानकार, विशेषज्ञ और ज्ञानी की तरह मानी जाये. मात्र मजदूर की हैसियत से उन्हें इन कार्यों में लगाना साम्राज्यवाद के दौर में ही हो सकता है, जैसा की आज हो रहा है.

काम के साथ-साथ दाम का सवाल भी महत्वपूर्ण है. सभी की आमदनी सरकारी कर्मचारियों के बराबर, नियमित और पक्की हो. इस तरह किसान हो या कारीगर, आदिवासी या दुकानदार सभी की आय सरकारी कर्मचारी के बराबर होनी चाहिए. जाति जनगणना सिर्फ कागजी कार्रवाई न होकर एक सुनियोजित रूप से बहुजन-समाज की समस्त जातियों को काम प्रदान करने का उपक्रम बने. देश की संपदा बहुजन-समाज की संपदा है यह उन्हें वापस लौटाया जाना चाहिए.

विद्या आश्रम रिसर्च प्रोग्राम : बहुजन ज्ञान संवाद

-सुनील सहस्रबुद्धे

पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता

'बहुजन' शब्द का अर्थ 'सामान्य जन' है, 'बहुसंख्य' नहीं, इसे ध्यान में रखते हुए बहुजन ज्ञान संवाद चलाया जाना है. बहुजन-समाज सामान्य लोगों का समाज है, विशिष्ट जनों का नहीं. इसे अलग-अलग ढंग से जातियों के मार्फ़त, समाज के रूप में, बिरादरियों के मार्फ़त, मुख्यधारा से बहिष्कृत लोगों के रूप में, अंग्रेजी राज के पहले से अस्तित्व रखने वाली सामाजिक संरचनाओं के रूप में अथवा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर 'पिछड़ों'के रूप में पहचाना जाता है. किस पहचान को प्राथमिकता दी जाये अथवा पहचान का वरीयता क्रम क्या हो यह इससे तय होता है कि आप के उद्देश्य क्या हैं, और यह भी कि समाज निर्माण, परिवर्तन और प्रगति के आप के विचार क्या हैं?

बहुजन-समाज की सार्वजनिक उपस्थिति, राजनीतिक भूमिका और एक समाज के रूप में गोलबंदी आज एक नए मोड़ पर दिखाई देती है. जन गणना में जाति की पहचान लिखी जाने के अभियान के रूप में यह दिखाई दे रहा है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभ्यता, संस्कृति और नस्ल के मुद्दे बहस में आ चुके हैं. कार्पोरेट्स, पूंजीवादी राजनीति और आधुनिक संपर्क-संचार प्रौद्योगिकी मिलकर सामान्य जनजीवन को उध्वस्त करने पर तुले हुए हैं. किसान, कारीगर,आदिवासी, महिला और छोटे दुकानदार समाजों की स्थिति यही बयां करती है. इसलिए अब बराबर के सम्मान और आय के पक्ष में पुनर्निर्माण के मूल्य और दिशा को तय करना आवश्यक है. इन सबको संज्ञान में लेते हुए विद्या आश्रम ने इस वर्ष से **'बहुजन-समाज अनुसंधान कार्यक्रम'** हाथ में लिया है जिसका प्रस्ताव नीचे दिया जा रहा है.

प्रस्ताव

यह देश और यहाँ का धर्म बहुजन-समाज का है. संत परम्परा बहुजन-समाज के विचारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है और इसने हिन्दू धर्म को लोक-भागीदारी की बुनियाद पर खड़ा किया. अब हिंदुत्व के नाम से एक नया (और साम्राज्यवादी) धर्म इन पर

थोपा जा रहा है. अलग-अलग समयों पर ब्राह्मणों, मुगलों और अंग्रेजों ने इन समाजों पर राज करने की व्यवस्थाएं बनाईं तथापि इतिहास के अधिकांश काल में बहुजन-समाजों के ही राजाओं का राज रहा है. इसका अर्थ यही है कि बहुजन-समाज के पास जीवन संगठन, राज और समाज-सञ्चालन का दर्शन रहा है, जिसने हमारी सभ्यता और संस्कृति के कीर्तिमान गढ़े हैं.

बहुजन-समाज राजनीतिक दृष्टि से आज दो राहे पर खड़ा है. या तो वह समाज में बड़े संरचनागत परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का रास्ता चुने या फिर वर्तमान व्यवस्था में अपने लिए अधिक से अधिक जगह प्राप्त करने के रास्ते बनाये. ये दोनों बातें अलग तो हैं किन्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं तथा समाज से सरोकार रखने वालों के बीच लम्बे समय से बहस का विषय रही हैं और रहेंगी.

बहुजन-समाज अपना रास्ता अपने दृष्टिकोण, दर्शन और हितों के जरिये चुने इसके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हैं कि बड़े पैमाने पर इस विषय पर सार्वजनिक बहस हो. यह बहस आज के अभिजात वर्गों के विचारों से स्वतंत्र होना ज़रूरी है और इसलिए बहुजन-समाज के दर्शन, इतिहास, राजनीति, और संभावी भविष्य को लेकर विस्तृत शोध व अनुसंधान की ज़रूरत है. यह अनुसंधान विश्वविद्यालय के अनुसंधान से सर्वथा अलग होगा क्योंकि विश्वविद्यालय के अनुसंधान पर पश्चिम की आधुनिक दार्शनिक परम्पराओं और ब्राह्मणों के विचारों का आधिपत्य है और उसमें बहुजन-समाज के दर्शन और उनके दर्द के लिए कोई स्थान नहीं है.

इस अनुसंधान का घर किसानों और कारीगरों के बीच होगा, रोज़ की कमाई करने वाले ठेले-गुमटी-पटरी वालों तथा मजदूरों के बीच होगा, बड़े पैमाने पर स्त्रियों के विचारों, कार्यों, अनुभवों में होगा, एक शब्द में कहें तो उनके जीवन में होगा. देश की मुख्यधारा से सबसे ज्यादा कटे हुए आदिवासी समाज के लोग हैं और इस अनुसन्धान में उनके जीवन और तौर-तरीकों का बड़ा स्थान होगा.

यह अनुसंधान मोटे तौर पर **बहुजन ज्ञान संवाद** के रूप में होगा, जिसकी एक **मूल मान्यता यह होगी कि बहुजन-समाज एक ज्ञानी समाज है तथा यह अनुसंधान उसके ज्ञान को नए समकालीन रूपों में प्रस्तुत करेगा. बहुजन-समाज के व्यावहारिक ज्ञान, वस्तुओं को बनाने के शिल्प और कला से तो सब परिचित हैं तथापि इन दक्षताओं की पृष्ठभूमि में इनका अपना दर्शन होता है इस बात को दबा दिया जाता है. यह संवाद इस दर्शन को सार्वजनिक पटल पर प्रस्तुत करने के रास्ते बनाएगा.**

यह अनुसंधान कार्यक्रम लोकविद्या जन आन्दोलन के द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों, जैसे **'समाजों की कहानी समाजों की ज़ुबानी', 'वाराणसी ज्ञान पंचायत'** और **'लोकनीति संवाद'** की अगली कड़ी के रूप में बनाया गया है. इस अनुसंधान कार्यक्रम में रुचि रखने वालों की एक बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी. इस कार्य में अपनी भूमिका देखने वाले विद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं.

लोकविद्या-समाज (बहुजन-समाज) की पहचान

सामान्य लोगों का समाज ही बहुजन-समाज है. यही समाज हमारी सभ्यता को गढ़ने का मूल आधार रहा है. इस समाज को पिछले लगभग सौ वर्षों से शासक वर्गों ने 'पिछड़ा' या 'ओबीसी' 'अनुसूचित जन जाति', 'अनुसूचित जाति' के नाम देकर एक-दूसरे से दूर किया. कहते हैं कि ये नाम सरकारों की कागज़ी कार्यवाही की सुविधा के लिए दिए गए. लेकिन इसके पीछे शासकों की कुटील मंशा और लोकविरोधी नीति रही. ये नाम इन समाजों की लम्बी ज्ञान परम्पराओं (लोकविद्या), राज-परम्पराओं और जीवन संगठन (उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि) के मूल्यों की समृद्ध परम्पराओं को सामने आने नहीं देतीं. बहुजन-समाज की शक्तियों और इतिहास को कुटिलता से छिपा दिया गया है.

सच्चाई यह है कि मुख्यधारा में लाने के नाम पर इन समाजों के उत्पादन और सेवाओं को कम दाम में खरीदने की नीतियाँ बनाई गईं, आधुनिक तकनीकी से अधिक उत्पादन के नाम पर इनके रोज़गार छीन लिए गए और 'विकास' की नीतियों ने इन्हें इनके घर-परिवार, गाँव, विरासत, इतिहास सबसे विस्थापित कर दिया. किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार और इन सभी के परिवार, यानि पूरा लोकविद्या-समाज (यानि बहुजन-समाज) आज इस स्थिति से गुज़र रहा है. बहुजन-समाज को इस स्थिति से उबरने के लिए अपनी पहचान को पुनर्स्थापित करने के रास्ते गढ़ने होंगे. शासक वर्गों की कृपा या प्रशासनिक सुविधा की शर्त पर अपनी पहचान स्वीकार करना अपनी पहचान और उसके साथ इस देश की गौरवशाली परंपरा को मिटाने जैसा है.

सलारपुर वार्ड 5 में ज्ञान पंचायत

-लक्ष्मण प्रसाद

17 दिसंबर 2023 को रविवार को सलारपुर वार्ड 5 में अमर शहीद जगदेव प्रसाद प्रतिमा स्थल पर वार्ड ज्ञान पंचायत बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई. इस दिन एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में लक्ष्मण प्रसाद, अजय कुमार, डॉक्टर अरविंद, अनिल कुमार, सतीश कुमार, बसंत बाल, संस्कृति, गीता देवी, रामजतन शामिल हुए. महेंद्र प्रताप मौर्य, फजलुर्रहमान अंसारी, कृष्ण कुमार क्रांति और शिव मूरत मास्टर साहब को इस बैठक में आमंत्रित किया गया.

बैठक में 2016 में इसी स्थान पर हुई पहली वाराणसी ज्ञान पंचायत को याद किया गया. वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल पर ही वार्ड ज्ञान पंचायत का विचार और कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है.

बैठक में निम्नलिखित बातें सामने आई.

- नगर निगम या नगर पालिका में रहने वाले लोग ही अपने वार्ड को सुंदर बना सकते हैं इसलिए वार्ड को सुंदर बनाने में वार्ड निवासियों की भागीदारी आवश्यक है.
- वार्ड में रहने वाले लोग तरह-तरह के कार्य करते हैं. कोई लोहा, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर इत्यादि का कारीगर है ,तो कोई बुनकर, कोई पटरी व्यवसायी, कोई सेवा का कार्य कर रहा है, कोई पक्का दुकानदार है तो कोई राजगीर मिस्त्री है. इन लोगों के पास अपने कार्य से संबंधित ज्ञान तो है ही और यही नगर निगम की व्यवस्थाओं को संचालित करने में प्रभावी सहयोगी हो सकते हैं.
- नगर निगम का काम वार्डों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़-गली निर्माण, सफाई-पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि सुचारू रूप से संचालित करना है. ये व्यवस्थाएं न्याय एवं भाईचारे पर आधारित होने चाहिए. वार्ड में सिर्फ एक पार्षद उपर्युक्त कार्यों की देखरेख सही ढंग से नहीं कर सकता**. इसके लिए बाकायदा एक कमेटी होनी चाहिए,** जैसा की ग्राम पंचायत में होती है. नगर पंचायत में वार्ड स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.
- वार्ड ज्ञान पंचायत वार्ड में रहने वाले तरह-तरह के ज्ञानियों की पंचायत है. यह ज्ञान पंचायत अपने वार्ड की हर समस्या पर अपने स्तर से विचार विमर्श के द्वारा एक समाधान निकाल कर प्रस्तुत करने में सक्षम होगी.
- वार्ड ज्ञान पंचायत की परिकल्पना में हर वर्ग से और हर क्षेत्र से प्रतिनिधि ज्ञानी-सदस्य के रूप में शामिल होंगे और वार्ड की समस्याओं और नवनिर्माण के लिए अपने विचार व सुझाव देंगे. वार्ड ज्ञान पंचायत कोई सरकारी तंत्र न होकर लोगों की अपनी पंचायत होगी.
- वार्ड ज्ञान पंचायत की इस परिकल्पना में लोगों की भागीदारी को उनके ज्ञान के बल पर मजबूत करने का आग्रह है. उनके ज्ञान के आधार पर ही इस पंचायत का नाम वार्ड ज्ञान पंचायत दिया जा रहा है. स्थानीय लोग अपने क्षेत्र की सटीक समझ रखते हैं, समस्याओं को भली भांति जानते हैं. उसके समाधान क्या हो सकते हैं, इसकी भी सही जानकारी उनके पास होती है. अतः स्थानीय लोग ही वार्ड ज्ञान पंचायत के गठन में अपनी वास्तविक भूमिका का निर्वहन करेंगे.
- सलारपुर की पंचायत में लोगों ने कहा कि हर महीनें ऐसी पंचायतें होती रहेंगी. वार्ड के ज्ञानियों को जोड़ा जाएगा.

●

अस्सी घाट पर छोटी पूँजी के व्यवसाईयों का धरना

-हरिश्चंद्र बिन्द

दिनांक 24/11/2023 को अस्सी घाट पर हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाराणसी और बनारस गिग वर्कर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में धरना दिया गया. इस धरने में छोटी पूँजी के उद्यमियों का दर्द सामने आया. इस धरने में आनलाइन प्लैटफॉर्म वर्कर्स, डिलिवरी ड्राइवर, गिग वर्कर, और ठेला-पटरी वाले शामिल हुए.

1. भारत में छोटे व्यवसायों की सुरक्षा के लिए तुरंत ई-कॉमर्स नीति बनाएं.
2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को विनियमित करने के लिए नियमों की अधिसूचित करें.
3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पर स्ट्रीट वेंडरों सहित छोटे व्यवसाइयों को शामिल करें.
4. भारत सरकार के बोर्ड में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में ठेला-पटरी के संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल .
5. ठेला-पटरी की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीति बनाएं.
6. सरकार का ई-कॉमर्स डाटा पर अधिकार होना चाहिए और छोटे व्यवसायों के लिए इसके उपयोग की अनुमति होनी चाहिए.
7. सभी ठेला-पटरी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी हो तथा बिक्री के जोन बनाया जाए।
8. शहर की ठेला-पटरी समिति का नियमत: वोटिंग के द्वारा चुनाव कराकर मेंबरों का प्रतिनिधित्व तय हो.
9. पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पूरी तरह से लागू किया जाएं.

हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी, वाराणसी संपर्क -हरिश्चन्द्र बिंद(स्टेट कार्डिनेटर उत्तर प्रदेश) मो-9555744251 क्षेत्रीय कार्यालय D15/56 मान मंदिर गली, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी.

बहुजन-समाज के हर परिवार की आय सरकारी कर्मचारी के बराबर, पक्की और नियमित हो.
इसी में देश की खुशहाली का रास्ता है.

वाराणसी ज्ञान पंचायत के लिए लोकविद्या जन आन्दोलन, भारतीय किसान यूनियन, स्वराज अभियान, बुनकर साझा मंच, माँ गंगाजी निषादराज सेवा समिति और कारीगर नजरिया द्वारा संयुक्तरूप से संयोजित. [संपर्क : चित्रा सहस्रबुद्धे (9838944822), लक्ष्मण प्रसाद (9026219913), रामजनम (8765619982), फ़ज़लुर्रहमान अंसारी (7905245553), हरिश्चंद्र बिन्द (9555744251)] पता : विद्या आश्रम, सा 10/82 अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-22100